भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3119

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

वैश्विक भूख संबंधी सूचकांक 2025

3119. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक भूख संबंधी सूचकांक 2025 के निष्कर्षों की जांच की है, जिसमें भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है और यदि हाँ, तो राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं;

(ख) क्या खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और मौजूदा मूल्य स्थिरीकरण तंत्र की सीमाएं, विशेष रूप से गरीब परिवारों, महिलाओं और बच्चों के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संवैधानिक बाध्यताओं और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और पोषण संबंधी परिणामों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वैश्विक भूख संबंधी सूचकांक (जीएचआई) नामक एक सूचकांक तीन गैर-सरकारी संगठनों (अर्थात, जर्मनी का वेल्ट हंगर हिल्फे; आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्डवाइड; और जर्मनी का इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट) द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह 'भुखमरी' का एक त्रुटिपूर्ण मापक है और भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके चार में से तीन घटक वास्तव में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर से संबंधित हैं। इनसे समग्र जनसंख्या में भूख की व्यापकता का सटीक प्रतिबिंब नहीं मिल सकता। केवल एक सूचक, कुपोषण की व्यापकता (पीओयू), ही भूख से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, और इस संकेतक में भी कार्यप्रणाली और आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण कमियां हैं। इसके आकलन की संभाव्यता प्रकृति और अंतर्निहित मापदंडों में अनिश्चितताओं के कारण, पीओयू अनुमानों की सटीकता आम तौर पर कम होती है। दो संकेतक (अर्थात, बौनापन और कुपोषण) भूख के माप नहीं हैं, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, रोग का भार, मातृ स्वास्थ्य, आनुवांशिकी और खाद्य उपयोग सहित कई जटिल कारकों के परिणाम हैं। इसी प्रकार, पांच से कम मृत्यु दर का संकेतक, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, टीकाकरण कवरेज, स्वच्छता और साफ-सफाई, सुरक्षित पेयजल और समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे कई निर्धारकों से प्रभावित होता है। इन कमियों को देखते हुए, जीएचआई द्वारा अपनाई गई पद्धति त्रुटिपूर्ण है और तथाकथित रैंकिंग को समग्र जनसंख्या में भूख के स्तर को प्रतिबिंबित करने वाला नहीं माना जा सकता है।

...2/-

(ख) से (घ): सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में परिदृश्य और सांकेतिक रुझानों की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात-आयात नीतियों में युक्तिकरण के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपायों का सुझाव देती है। इसके अलावा, उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में स्थित 578 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 40 आवश्यक खाद्य पदार्थों की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर और नियंत्रण में हैं।

सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) भी लागू की है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। पीएमजीकेएवाई के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार, जो सबसे गरीब वर्ग में आते हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के पात्र हैं, प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न पाने के पात्र हैं। वर्तमान में, पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 80.56 करोड़ लाभार्थी शामिल किए गए हैं, जबकि लक्षित कवरेज 81.35 करोड़ व्यक्तियों का है (जनगणना 2011 के अनुसार)।

*****